रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 1972/फाल्गुन 6, 1893

No. 123] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 1972/PHALGUNA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

SURTAX

New Delhi, the 25th February 1972

S.O. 167(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Companies (Profits) Surtax Rules, 1964, namely:—

1. These rules may be called the Companies (Profits) Surtax (Amendment) Rules, 1972.

2. In the Companies (Profits) Surtax Rules, 1964, in the Appendix,—

(a) in Form No. 4,—

(i) for item 11, the following items shall be substituted, namely:—

"11. Date on which the return of chargeable profits, if any, for the assessment year referred to in item 3 was filed.

12. Date on which the assessee was served with a notice, if any, calling upon him to file the return of chargeable profits for the assessment year referred to in item 3.

13. †Relief claimed in appeal.

(ii) in Note No. 2, for the words "one hundred rupees", the words and figures "one hundred rupees in a case where either of the dates shown against items 11 and 12 falls before 1st April, 1971, and one hundred and twenty-five rupees in any other case" shall be substituted;

(b) in Form No. 15,—

(i) for paragraph (6), the following paragraphs shall be substituted, namely:—

"(6) that the date on which the return of chargeable profits for the assessment year in connection with which the reference application is being made was filed is.....and the date on which the assessee company was served with a notice calling upon it to file the return of chargeable profits for that assessment is.....;

(7) that the documents or copies thereof, as specified below (the translation in English of the documents, where necessary, is annexed) be forwarded to the High Court with the statement of the case.".

(ii) in the Note, for the words "one hundred rupees", the words and figures "one hundred rupees in a case where either of the dates shown in paragraph (6) falls before 1st April, 1971, and one hundred and twenty-five rupees in any other case" shall be substituted.

[No. 36/F. No. 143(3)/72-TPL].

R. R. KHOSLA,
Secretary, Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

अतिकर

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1972

का० आ० 167(अ).—कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कम्पनी (लाभ) अतिकर नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् –

1. इन नियमों का नाम कम्पनी (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

2. कम्पनी (लाभ) अतिकर नियम, 1964 में, परिशिष्ट में,

(क) प्ररूप सं० 4 में—

(i) मद 11 के स्थान पर, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"11. तारीख जिसको मद तीन में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य लाभ, यदि कोई हो, की विवरणी फाइल की गई थी ।

12. तारीख जिसको निर्धारिती को कोई ऐसी सूचना, यदि कोई हो, की तामील की गई थी जिसमें उससे मद 3 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य लाभ की विवरणी फाइल करने के लिए कहा गया था ।

13. †अनुतोष जिसका अपील में दावा किया गया ।

(ii) टिप्पण सं० 2 में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "किसी ऐसे मामले में, जहां मद 11 और 12 के सामने दर्शित तारीखों में से कोई तारीख 1-4-71 से पहले पड़ती हो, एक सौ रुपए और किसी अन्य मामले में एक सौ पच्चीस रुपए" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) प्ररूप सं० 15 में,—

(i) पैरा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(6) कि तारीख, जिसको उस निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य लाभ की विवरणी फाइल की गई थी जिसके बारे में निर्देश आवेदन किया गया है,————— है और तारीख, जिसको निर्धारिती को कोई ऐसी सूचना, जिसमें उससे उस निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य लाभ की विवरणी फाइल करने के लिए कहा गया था तामील की गई थी,————————————————है ;

(7) कि नीचे यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज या उनकी प्रतियां (दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद, जहां आवश्यक हो, उपाबद्ध है) मामले के कथन के साथ उच्च न्यायालय को अग्रेषित की जाए।"।

(ii) टिप्पण मे, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "किसी ऐसे मामले मे, जहां पैरा (6) में दर्शित तारीखों में से कोई तारीख 1-4-1971 से पहले पड़ती हो, एक सौ रुपए और किसी अन्य मामले में एक सौ पच्चीस रुपए" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 36/फा० सं० 143(3)/72-टी पी एल]

आर० आर० खोसला

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972